वार्षिक प्रगति रिर्पोट

वर्ष 2012-2013

जन सेव प्रशिक्षण संस्थान

ग्राम+पोस्ट-भितरी जिला - गाजीपुर

पिन कोड-233304

राज्य - उत्तर प्रदेश

मोबाईल न0- +91-900567412,8765001996

ई-मेल - jspsngo@gmail.com

जन सेवा प्रशिक्षण संस्थान

ग्राम+पोस्ट–भितरी, जिला–गाजीपुर

वार्षिक प्रगति रिर्पोट 2012–2013

ग्रामीण महिलासशक्तिकरण कार्यक्रम :– संस्था द्वारा परियोजना के अर्न्तगत विकास खण्ड–देवकली के चयनित 10 ग्राम पंचायतों में लक्षित समुदाय दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग में नारी संघ कि बैठक प्रतिमाह किया गया साथ ही ग्राम पंचायत स्तरीय पैरवी दल, ब्लाक स्तरीय पैरवी दल कि बैठक व चुनाव करके जिला स्तरीय पैरवी दल में सक्रिय नारी संघ के सदस्यों को जिला स्तरीय पैरवी दल में भेजने का कार्य किया गया। साथ ही जिला स्तरीय पैरवी दल में सदस्यों का ओंरिन्टेशन करते हुए चुनाव के माध्यम से राज्यस्तरीय पैरवी दल में जिम्मेदारी के साथ भेजने का कार्य हुआ। साथ ही ग्राम पंचायतो में ग्रामसभा कि खुली बैठक नारी संघ के सहभागीता से सम्पन्न हुई। साथ ही एक ग्राम पंचायत में दुबारा ग्राम सभा कि खुली बैठक नारी संघ सहभागिता से सम्पन्न हुई। परियोजना के अर्न्तगत ***ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम*** के तहत संस्था द्वारा सक्रिय रूप से पुरवेवार महिला संगठन की बैठक, गृह भ्रमण जन सर्म्पक, नारी संघ की बैठक, और ग्राम सभा कि खुली बैठक ***समुदाय आधारित संगठन, जिलास्तरीय व ब्लाकस्तरीयमहिला अगॅ़वाकर्ता इन्टरफेस कार्यक्रम, क्षमता वर्धन ओंरिंटेशन नेतृत्व विकास प्रशिक्षण और क्लस्टर स्तर पर सी.ओ. लिडरो कि समीक्षा बैठक, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर*** *के आयोजन* सहित कार्य योजना के अनुसार समस्त गतिविधियों के किये जाने के उपरान्त 2000 लक्षित समुदाय की महिला अगॅुवाकर्ता अपने हक एवं अधिकार प्राप्त करने के लिए पहल के साथ लाभ प्राप्त की।

❖ ग्रामपंचायत वार गृहभ्रमण एवं नारी संघ की बैठक :–

परियोजना क्षेत्र के 10 ग्राम पंचायतो में नारी संघ के सदस्यों की बैठक में कार्यकर्ता द्वारा, ग्राम सभा की खुली बैठक एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली नरेगा व शासनादे” ा व कार्यवाही के बारे में नारी संघ में बताया गया। कि परियोजना के अर्न्तगत जॉब कार्ड काम के अधिकार स्वास्थ्य लाभ ,जॉब कार्ड धारको को बीमा का लाभ प्राप्त होना सुनिश्चत हैं और आप लोग काम मांगे काम मिलेगा बजट कि कमी नही है। और दसों ग्राम पंचायतो में नारी संघ कि बैठक में भाग लेने के

लिए अपनी सहमती प्रदान की। इस प्रकार 31760 परिवार के लोगो को राशन नरेगा एवं मनरेगा में काम सरकारी योजनाओं का लाभ ,जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व लाभ वृद्वा पें" ान परिवारोक लाभ, अतिरिक्त बी.पी.एल लाभ, आवास योजना, स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा का अधिकार सहीत उनको अधिकार एवं लाभ प्राप्त हुआ।

❖ब्लाक स्तरीय महिला अगुवॉ कर्ताओं के साथ इण्टरफेस कार्यक्रमः—

संस्था द्वारा ब्लाकस्तरीय महिला अगुवॉकर्ता इन्टरफेस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। ब्लाक स्तरीय महिला अगुवा कर्ताओ व सेवादाताओ के साथ आमना—सामन कार्यक्रम के अर्न्तगत नरेगा में काम के अधिकार, बेराजेगारी भत्ता, मजदूरी भुगतान, जॉब कार्ड धारको का खाता बैक में खोलवाना, कार्य स्थल पर सुविधाओं का वर्णन, मस्टररोल कार्य स्थाल पर भरवाना व देखन से सम्बन्धित जबाब सवाल उठाये गये। और जानकारी प्राप्त कि गयी।राशन वितरण में अनियमिता, घटतौली मूल्यवृद्वि, कोटे कि दुकान समय से न खोलना इस पर नारी संघ द्वारा जबाब मांगा गया। जिसमे सेवादाताओ द्वारा समाधान के लिए शीघ्र कार्यवाही करने को बताया गया। कार्यक्रम में ग्राम सभा खुली बैठक का न होना स्मार्ट कार्ड बनवाने में भेद—भाव वृद्धापेशंन, विधवा पेशंन मातृत्व लाभ योजना, पारिवारीक लाभ योजना, नये राशन बनवाने, जननी सुरक्षा योजना सहीत अन्य सरकारी योजनो व सुविधाओ कि जानकारीओ का आदान—प्रदान करवाया गया।

❖तहसील विधिक जागरूकता कार्यक्रमः—

संस्था द्वारा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें नारी संघ के समस्याओं के अर्न्तगत मजदूरी का भुगतान काम प्राप्त करना राशन वितरण में अनियमियता, ग्राम सभा की बैठक का न होना,

घरेलू महिला हिंसा से सम्बन्धित समस्याए आयी सरकारी योजनाओ को पाने के लिए संघर्षरत हैं जो शिविर के आयोजन से नारी संघ के कर्तव्य सहित सरकारी योजना, पी.डी.एस.व नरेगा पर प्रकाश डाला गया। इसी क्रम में बताया गया कि सरकारी योजना हैं कि 100 दिन नरेगा में काम मिले जैसे-जैसे हलात बदलते है वैसे-वैसे अधिकार बदलता है। हमे अधिकार हैं कि हम किसी भी अधिकारी से सूचना मॉग सकते है। हमें छोटी-छोटी समस्याओं पर ध्यान रखने कि जरूरत है। कानून-मानव कि समस्याए जो उनके लिए बना हैं महिलाओं के जब अत्याचार बढा तब कानून बना जैसे घरेलू महिला हिसां उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, आर्थिक हिंसा सहीत महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। धारा 125 के अर्न्तगत भरण-पोषण के दावा कर सकते है। इस शिविर के माध्यम से 10 ग्राम पंचायतो के वांचित समुदाय के महिला एवं पुरूष भाग लेकर भान्वित हुए।

❖ <u>जिलास्तरीय महिला अगुवॉ कर्ताओं के साथ इण्टरफेस कार्यकमः–</u>

संस्था द्वारा जिलास्तरीय महिला अगुवॅाकर्ता इन्टरफेस कार्यक्रम दिनांक 02/12/2012 को आयोजित किया गया। जिसमें महिला अगुवॅाकर्ता ने भाग लिया। जिसमें जिलास्तरीय महिला अगुवॅाकर्ता इन्टरफेस कार्यक्रम में निम्न बिन्दूओं पर चर्चा एवं सवाल जबाव हुआ। नरेगा में काम प्राप्ति पर चर्चा एवं सवाल जबाव। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमियता पर चर्चा एवं सवाल जबाव। सरकारी योजनाओं में भेदा-भाव पर चर्चा एवं सवाल जबाव। आगनवाड़ी पर पुष्टाहार वितरण में अनियमियता पर चर्चा एवं सवाल जबाव। आवासीय भूमि पट्टा पर चर्चा एवं प्रवाधान एवं सवाल जबाव। ग्राम सभा खुली बैठक करवाने सम्बन्धित चर्चा एवं सवाल जबाव। घरेलू महिला हिंसा व मानवाधिकार पर चर्चा एवं सवाल जबाव करते हुए दस ग्राम पंचायतो कि महिला अगुआ कर्ताओं ने अपने हक एवं अधिकार कि जानकारी प्राप्त कर जिम्मेदारी से लाभ प्राप्त कर रही है।

❖ <u>दलित महिला जागरूता कार्यक्रमः-</u>

संस्था द्वारा वांचित समुदाय की महिलाओं का जागरूता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें उनको सरकारी योजनाओ, साक्षरता, स्वास्थ्य लाभ, साफ सफाई,स्वच्छ जल स्वरोजगार, निर्धनता, उनके अधिकार, घरेलू महिला हिंसा, सूचना के अधिकार, संगठन के महत्व, अपने हक कि प्राप्ति, आवसीय भूमि पट्टा, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, पंचायत कि गतिविधियों से सम्बन्धित जानकारी प्रदान किया गया। जिससे 33 गॉव कि महिलाओं ने जागरूक होकर लाभ प्राप्त कर रही है।

❖**अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रमः-** संस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें महिला अधिकारीयों, कानूनी सलाहकार बुद्विजीवी वर्ग सामाजिक कार्यकर्ता व वांचित समुदाय कि महिलाओं ने सक्रियता से भाग लिया। और अपने हक एवं अधिकार कि जानकारी सहीत पंचायतो में आरक्षण मताधिकार, पारिवारीक समरस्ता घरेलू महिला हिंसा सहीत अन्य अधिकारो कि जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो रही है।

❖**अन्तर्राष्टीय मजदूर दिवसः-** संस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें नरेगा मजदूर राजगीर, ईट भट्टे के मजदूर, घरेलू मजदूर, कृषक मजदूर सहीत इस कार्यक्रम में अपना सहभगिता प्रदान किये। और अपनी बातों को रखा व कानूनी जानकारी प्राप्त किया। जिससे वर्तमान समय में अपनी मजदूरी वृद्वि के साथ अपने अधिकार प्राप्त कर रहें है।

❖**स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमः-** संस्था द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 300 निर्धन एवं वांचित समूदाय कि महिलओं ने भाग लिया। शिविर में डा0 साबीया परवीन द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धित के साथ ही महिलाओं व बच्चों कि देख-भाल के तौर तरिके स्वास्थ्य शिक्षा, टिका करण व सुविधओं कि जानकारी प्राप्त कि गयी जिससें जानकारी प्राप्त कर महिलाए लाभान्वित हुई।

❖ **ग्राम पंचायत जागरूकता कार्यक्रमः-** संस्था द्वारा 15 ग्राम पंचायतो में जागयकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा दाताओं के साथ आमना सामना काराया गया। जिससे ग्राम पंचायत वासीयों को ग्राम पंचायत स्तर पर मिलने वाले अधिकारों कि जानकारी प्राप्त हुई। जिससे ग्रामपंचायत समिति पंचायती अधिकार, सरकारी योजनओ कि जानकारी प्राप्त कर लोगो को लाभ मिल रहा है।

रामबचन भारती
जन सेवा प्रशिक्षण संस्थान
भितरी-गाजीपुर